न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा आर.ए.एस

मु0 माल स0126/2006

1–रिछपाल पुत्र चननसिंह जाति जटसिख साकिन 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर – प्रार्थी

बनाम

1–बलवन्तसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति जटसिख निवासी 5 बी छोटी

2–रामसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति जटसिख निवासी 5 बी छोटी–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–1–श्री सुभाषचन्द मिडढा एडवोकेट–प्रार्थी

2–श्रीसुरेशचन्द्र अरोडा एडवोकेट– अप्रार्थी स01

:–आदेश–: दिनांकः– 14 जुलाई 2015

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दावा अन्तर्गत 88 आरटीए का पेश किया हुआ है। कि अप्रार्थीगण के पिता उजागरसिंह को अपनी भूमि क लिऐ रास्ता की जरुरत होने के कारण उसने प्रार्थी की भूमि मु0न022 के कि0न05,6,15,16,25 मेंसे रास्ता लिया तथा इस रास्ता में प्रार्थी की 6 विस्वा भूमि ली गई तथा अप्रार्थीगण के पिता ने उक्ज 6 विस्वा भूमि के मुआवला के रुप में प्रार्थी को चक 5 बी छोटी के मु0न021 के कि0न05,6,15,16,25 में कुल 3 विस्वा भूमि बदले में दी जो प्रार्थी के कब्जा में चली आ रही है। अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई है। प्रार्थी को दी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसके लिऐ उनके विरुद्व वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः चक 5 बी छोटी मु0न021 कि0न05,6,15,16,25 में 3 विस्वा भूमि पर प्रार्थी के कब्जा में हैं,में मुदाखलत बेजा करने एंव रहन बैय करने से रोके जाने का आदेश प्रदान किया जावें। प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी की दिनांक 18–5–2006 को एक पक्षीय बहस सुनने पर प्रथम द्वष्टया प्रकरण होने पर विवादास्पद भूमि की रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखने के आदेश दिये जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स01 की ओर से श्री सुरेश अरोडा उपस्थित आयें। अप्रार्थी स02 स्वंय उपस्थित आया। बाद में उपस्थित नहीं आयें। अप्रार्थी स01 ने दिनांक 12–2–2007 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के पिता को अपनी किसी आराजी के लिऐ कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं थी ना ही मु0न022 के कि0न05,6,15,16,25 में से कोई रास्ता 6 विस्वा लिया ओर ना ही उक्त भूमि के मुआवजे के रुप में अपने मुन021 के कि0न05,6,15,16,25 में से 3 विस्वा भूमि दी। उक्त किलाजात की भूमि अप्रार्थी 1 की खातेदारी है। पिछले कुछ समय से प्रार्थी के मन में बदनियती आने पर उसने प्रार्थी की उक्त किलाजात की भूमि जो मु0न022 के

MvK

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

— Cont (2)

साथ चिपती थी पर कब्जा कर लिया ओर उक्त कब्जा को बरकरार बनाये रखने` लिऐ गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर ना ही उसे कोई अपूरर्णीय क्षति कारित होती है। बल्कि इसके विपरित वादी ने अप्रार्थी की 3 विस्वा खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा बनाया हुआ है। अतः अस्थाई निषेघाज्ञा खारिज की जावें।

दिनांक 2–7–2015 को उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारित थी। उन्होनें अपनी बहस में तर्क दिया कि भूमि के बदले भूमि दी। इसका पंचायत के रिकार्ड में दर्ज हैं। कब्जा मेरे पास हैं जबरदस्ती बेदखल करना चाहते है। पटवारी रिपोर्ट से पुष्टि होती है। अतः प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन मेरे पक्ष में हैं। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें। अप्रार्थी स01 के वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम से भूमि है। हम रिकार्डड खातेदार हैं। रिकार्डड खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। डिक्री के आधार पर इन्तकाल दर्ज होकर जमीन दर्ज हुई हैं। प्रार्थी नाजायज कब्जा करना चाहते है। इन्हें कोई हक नहीं है। कब्जा कितना भी पुराना हो।प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर ना ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। दोनों बिन्दु उनके पक्ष मं नहीं होने से कोई अपूरर्णीय क्षति भी कारित नहीं होती है। अतः पूर्व में दिनांक 18–5–2006 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश निरस्त करते हुऐ प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

हमने दोनों पक्षों द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया प्रकरण ओर भूमि पर कब्जा होने से सुविधा सन्तुलन उनके पक्ष में हैं। अगर भूमि का बेचान कर दिया जाता हैं तो उसे अपूरर्णीय क्षति भी कारित होती है। मूल वाद में जबाब आने के पश्चात तनकीयात कायम किये जाने पर साक्ष्य एंव सबूतों के आधार पर तैय किया जायेगा। अतः पूर्व में आदेश दिनांक 18–5–2006 से जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर